पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 05 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक- 02.10.2023

दिनांक-01/02-10-2023 को रात्रि थाना गोसाईगंज 01, निगोहा 01, सैरपुर 01, चौक 02, अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 05 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0

थाना महानगर(फौती)- दिनांक 02.10.2023 को थाना महानगर द्वारा बताया गया कि श्री संजय उर्फ मुन्ना पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम भरवारा थाना चिनहट लखनऊ ने थाना महानगर पर सूचना दिया कि दिनांक 02.10.2023 को सुबह समय करीब 09.00 बजे उसने देखा कि भंगेडी नाम के मजदूर जिसका वास्तविक नाम राजेश बताया जा रहा है, निशांतगंज चौराहे पर बने पार्क में मृत अवस्था में पड़ा है। राजेश उर्फ भंगेडी निशांतगंज चौराहे पर रह कर मजदूरी करता था, मृतक के पिता का नाम व पता उसे मालूम नही है। वह निशांतगंज चौराहे पर चाय का ठेला लगता है, जिस कारण मृतक भंगेडी उर्फ राजेश को थोड़ा बहुत जानता था। मृतक राजेश उर्फ भंगेडी कुछ समय से बीमार चल रहा था। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री विनोद कुमार सिंह मो0-7355707514 थाना महानगर द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक पीलिया बीमारी से ग्रस्त था, इसकी उम्र करीब 40 वर्ष है। मृतक के पास कोई आई0डी0 नही है तथा अन्य आस पास के लोगों द्वारा भी मृतक की कोई जानकारी नही मिल पाई है।

थाना गोसाईगंज(आत्महत्या)-दिनांक 02.10.2023 को थाना गोसाईगंज द्वारा बताया गया कि श्री रोहतास यादव जेल वार्डर जिला कारागार लखनऊ ने एक किता सूचनार्थ पत्र बन्दी मृत्यु के सम्बन्ध में थाना गोसाईगंज पर दाखिल कर सूचना दिया कि बंदी उज्जवल भट्टू पुत्र संजीव कुमार शर्मा निवासी 554/150 छोटा बराह थाना आलमबाग लखनऊ व मूलपता जय प्रकाश नियर जयमाता नार्सिंग होम थाना कृष्णानगर लखनऊ जोकि सम्बन्धित मु0अ0सं0-25/19 धारा-307/302/34 भादवि थाना आलमबाग, मु0अ0सं0-52/19 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना आलमबाग लखनऊ व अन्य 05 वादों में दिनांक 15.02.2019 से जिला कारागार लखनऊ में विचाराधीन बंदी था, ने दिनांक 01/02.10.2023 की रात्रि को आत्यहत्या कर लिया है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री राजकुमार सिंह मो0-8896081686 थाना गोसाईगंज द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक की उम्र करीब 26 वर्ष है। मृतक उज्जवल ने चादर का फंदा बनाकर एंगल से लटक कर फांसी लगा ली है।

थाना पीजीआई(फौती)- दिनांक 02.10.2023 को थाना पीजीआई द्वारा बताया गया कि श्री अर्जुन सिंह पुत्र स्व0 शम्भू दयाल निवासी तेलीबाग बाजार गल्ला हालपता श्री बाला जी स्वीट्स श्री गौरी मन्दिर तेलीबाग थाना पीजीआई लखनऊ ने थाना पीजीआई पर सूचना दिया कि दिनांक 02.10.2023 को सुबह वह अपनी दुकान पर आया तो देखा कि एक व्यक्ति गौरी मन्दिर के गेट के बाईं तरफ लेटा है, पास जाकर देखा तो मैने आवाज दी तो वह व्यक्ति कुछ नही बोला। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री शुभम मेहदियान मो0-8630230308 थाना पीजीआई द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि शव को देखकर मृतक की उम्र करीब 55 वर्ष है। मृतक भीख मांगता था, वहां के आस पास लोगों द्वारा बताया गया और अभी कुछ दिनों से दिखाई दे रहा था। शव की शिनाख्त नही हो पाई है, शिनाख्त प्रयास किये जा रहे है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 05 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक- 02.10.2023

दिनांक-01/02-10-2023 को रात्रि थाना गोसाईंगंज 01, निगोहा 01, सैरपुर 01, चौक 02, अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 05 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0

थाना महानगर(फौती)- दिनांक 02.10.2023 को थाना महानगर द्वारा बताया गया कि श्री संजय उर्फ मुन्ना पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम भरवारा थाना चिनहट लखनऊ ने थाना महानगर पर सूचना दिया कि दिनांक 02.10.2023 को सुबह समय करीब 09.00 बजे उसने देखा कि भंगेडी नाम के मजदूर जिसका वास्तविक नाम राजेश बताया जा रहा है, निशांतगंज चौराहे पर बने पार्क में मृत अवस्था में पड़ा है। राजेश उर्फ भंगेडी निशांतगंज चौराहे पर रह कर मजदूरी करता था, मृतक के पिता का नाम व पता उसे मालूम नही है। वह निशांतगंज चौराहे पर चाय का ठेला लगता है, जिस कारण मृतक भंगेडी उर्फ राजेश को थोड़ा बहुत जानता था। मृतक राजेश उर्फ भंगेडी कुछ समय से बीमार चल रहा था। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री विनोद कुमार सिंह मो0-7355707514 थाना महानगर द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक पीलिया बीमारी से ग्रस्त था, इसकी उम्र करीब 40 वर्ष है। मृतक के पास कोई आई0डी0 नही है तथा अन्य आस पास के लोगों द्वारा भी मृतक की कोई जानकारी नही मिल पाई है।

थाना गोसाईंगंज(आत्महत्या)-दिनांक 02.10.2023 को थाना गोसाईंगंज द्वारा बताया गया कि श्री रोहतास यादव जेल वार्डर जिला कारागार लखनऊ ने एक किता सूचनार्थ पत्र बन्दी मृत्यु के सम्बन्ध में थाना गोसाईंगंज पर दाखिल कर सूचना दिया कि बंदी उज्जवल भट्टू पुत्र संजीव कुमार शर्मा निवासी 554/150 छोटा बराह थाना आलमबाग लखनऊ व मूलपता जय प्रकाश नियर जयमाता नार्सिंग होम थाना कृष्णानगर लखनऊ जोकि सम्बन्धित मु0अ0सं0-25/19 धारा-307/302/34 भादवि थाना आलमबाग, मु0अ0सं0-52/19 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना आलमबाग लखनऊ व अन्य 05 वादों में दिनांक 15.02.2019 से जिला कारागार लखनऊ में विचाराधीन बंदी था, ने दिनांक 01/02.10.2023 की रात्रि को आत्यहत्या कर लिया है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री राजकुमार सिंह मो0-8896081686 थाना गोसाईंगंज द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक की उम्र करीब 26 वर्ष है। मृतक उज्जवल ने चादर का फंदा बनाकर एंगल से लटक कर फांसी लगा ली है।

थाना पीजीआई(फौती)- दिनांक 02.10.2023 को थाना पीजीआई द्वारा बताया गया कि श्री अर्जुन सिंह पुत्र स्व0 शम्भू दयाल निवासी तेलीबाग बाजार गल्ला हालपता श्री बाला जी स्वीट्स श्री गौरी मन्दिर तेलीबाग थाना पीजीआई लखनऊ ने थाना पीजीआई पर सूचना दिया कि दिनांक 02.10.2023 को सुबह वह अपनी दुकान पर आया तो देखा कि एक व्यक्ति गौरी मन्दिर के गेट के बाईं तरफ लेटा है, पास जाकर देखा तो मैंने आवाज दी तो वह व्यक्ति कुछ नही बोला। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री शुभम मेहदियान मो0-8630230308 थाना पीजीआई द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि शव को देखकर मृतक की उम्र करीब 55 वर्ष है। मृतक भीख मांगता था, वहां के आस पास लोगों द्वारा बताया गया और अभी कुछ दिनों से दिखाई दे रहा था। शव की शिनाख्त नही हो पाई है, शिनाख्त प्रयास किये जा रहे है।

<u>ठाकुरगंज(दहेज हत्या)</u>-दिनांक 02-10-2023 को प्रभारी निरीक्षक ठाकुरगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री संदीप पाल पुत्र श्री राम बिलास निवासी अंटिया राघवपुर मल्लावां जनपद हरदोई ने थाना ठाकुरगंज पर सूचना दिया कि वादी ने अपनी बहन सुषमा पाल की शादी दिनांक 22-02-2023 को विजय पाल पुत्र पप्पू उर्फ सियाराम निवासी समसापुर बालामऊ कछौना जनपद हरदोई से अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज देकर किया था। वादी की बहन के ससुराल वाले दहेज से संतुष्ट नही थे और अधिक दहेज की मांग करने लगे। शादी के कुछ दिन बाद वादी की बहन का पति विजय पाल, ससुर सियाराम उर्फ पप्पू, चचिया सास गुड्डी, चचिया ससुर मुन्नीलाल और ननद रोली पुत्री मुन्नीलाल आये दिन दहेज की मांग करते थे, चार पहिया वाहन वैगनार व 07 लाख रुपये नगद मांगते थे। वादी की बहन को आये दिन दहेज को लेकर मारते पीटते थे। वादी की बहन की शादी गरीब लाल पुत्र अज्ञात निवासी उपरोक्त ने कराई थी जोकि सियाराम उर्फ पप्पू का बहनोई है। गरीब लाल भी वादी की बहन को दहेज के लिए आए दिन प्रताड़ित करता था। वादी की बहन को बहन के ससुरालवालों की तरफ से जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी। दिनांक 01.10.2023 को विजय पाल और उसकी गर्लफेन्ड अज्ञात ने वादी की बहन सुषमा को मिलकर जान से मार दिया है। **इस सूचना पर थाना ठाकुरगंज पर मु0अ0सं0-676/2023 धारा- 498ए/323/504/304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

<u>थाना काकोरी(फांसी)</u>- दिनांक 02.10.2023 को थाना काकोरी द्वारा बताया गया कि मो0 शादाब पुत्र स्व0 मो0 शमीम निवासी कटरा बाजार थाना काकोरी लखनऊ ने थाना काकोरी पर सूचना दिया कि आज दिनांक 02.10.2023 को दोपहर 01.30 बजे उसके सगे भाई मो0 शहनवाज उर्फ शानू उम्र करीब 38 वर्ष निवासी उपरोक्त ने कमरे में छत के कुण्डे से फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री राजेश कुमार विश्वकर्मा मो0-7905651747 थाना काकोरी द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मो0 शहनवाज उर्फ शानू उम्र करीब 38 वर्ष पुत्र स्व0 मो0 शमीम निवासी कटरा बाजार कस्बा व थाना काकोरी लखनऊ ने अपने कमरे में पंखे के कुण्डे से रस्सी का फंदा बनाकर फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली है। करीब 3-4 महीने पूर्व मृतक की पत्नी की एक्सीडेन्ट में मृत्यु हो चुकी है जिससे मो0 शहनवाज उर्फ शानू उपरोक्त डिप्रेशन में रहता था। मृतक कपड़े सिलने का काम करता था।